

## कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

### प्रेस नोट

- अजमेर में पटवारी 20 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 18 दिसम्बर, सोमवार। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर अजमेर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये रवि कुमार लाखीवाल पटवारी पटवार हल्का सनोद प्रथम, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर को परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की अजमेर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके हिस्से की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तकरण खोलने की एवज में रवि कुमार लाखीवाल पटवारी पटवार हल्का सनोद प्रथम, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर द्वारा 20 हजार रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी अजमेर के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के सुपरवीजन में एसीबी अजमेर इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अतुल साहू के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज पुलिस निरीक्षक श्री दीनदयाल वैष्णव द्वारा मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये रवि कुमार लाखीवाल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद बुनकर निवासी मुकाम पोस्ट चेतावाला, तहसील आमेर, पुलिस थाना दौलतपुरा, जिला जयपुर हाल पटवारी पटवार हल्का सनोद प्रथम, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर को परिवादी से 20 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।